

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-27102023-249746
SG-DL-E-27102023-249746असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 26, 2023/कार्तिक 4, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 273
No. 327]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2023/KARTIKA 4, 1945	[N. C. T. D. No. 273

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2023

फा. सं. 44(50)/2022/डीएसडब्ल्यू/प्रशा.II/आर.आर.आया/13798.-13803.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 840 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में आया के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को आया भर्ती नियमावली, 2023 कहा जायेगा।
- ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति,
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा सेवा विभाग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	आया
2.	पदों की संख्या	:	20*(2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-‘ग’ अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (रुपये 18000-56900/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष के बीच* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीपः — आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों की भर्ती होती है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः— किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो तथा उनके पास किसी मान्यताप्राप्त संगठन से छह (06) माह का व्यवहारिक कार्य करने का अनुभव हो। टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप 2: यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	दो वर्ष

10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा	:	सीधी भर्ती द्वारा टीप:- “पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती है। (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी तथा (ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले।”
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती हानी हो तो	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय स्थायीकरण समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह “ग” विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव /सचिव (प्रशा. सुधा.) —अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग के प्रमुख —सदस्य 3. उप-सचिव (सा.प्रशा.वि.) —सदस्य टीप:- यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अंजलि सहरावत, निदेशक (समाज कल्याण)

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 26th October, 2023

F. No. 44(50)/2022/DSW/Admn II/R.R. AYA/13798/13803.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number G.S.R. 840 dated 13th July, 1959 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Aya in the Department of Social Welfare, Government of National Territory of Delhi, namely: -

- Short title and commencement:-**(i) These rules may be called Aya Recruitment Rules, 2023.
(ii) They shall come into force on the date of its publication in official gazette.
- Number of Posts, Classification and level in the pay matrix:-**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.:-**The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification:-**No person-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax:-**Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(Name of the Post)	(Number of Posts)	(Classification)	(Level in the Pay Matrix)	(Whether selection or non-selection post)	(Age-limit for Direct Recruits)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aya	20* (2023), *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 (Rs.18000-56900) of the pay matrix	Not Applicable	Between 18-25 years* (Relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/ Competent Authority. *In case of post being filled up by All India open competition, the age limitation would be between 18 years and 27 years.

(Educational and other qualifications required for direct recruits)	(Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees)	(Period of probation, if any)
(7)	(8)	(9)
Essential: - Matriculation or equivalent pass from recognized Board/Institute, and having six (06) months practical experience of working as an Aya from any registered organization. Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons	Not Applicable	Two years.

to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification (s) regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
---	--	--

(Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion...)	(In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption, ...)
(10)	(11)
By Direct Recruitment. Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from offices of Central Government/ State Governments/ UTs. (a) Holding analogous posts on regular basis and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7".	Not applicable

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Composition of Group 'C' Departmental Confirmation committees (for confirmation). 1. Pr. Secretary/Secretary (AR) Chairperson. 2. Head of the Department concerned--- Member. 3. Deputy Secretary (GAD) --- Member. Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	Not applicable

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
ANJALI SEHRAWAT, Director (Social Welfare)